

**Great Investment
measured in
square yards**

CITIZEN HOTLINE
9696123123



सिटीजन हाउसिंग

सहयोग भवन, बिशप जानसन स्कूल के बगल में,
हाईकोर्ट के समीप, इलाहाबाद
फोन : 0532-2560423

Website : www.citizenhomes.org E-mail : info@citizenhomes.in



आपका

अपना

घर



इलाहाबाद की पहली
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्स प्राप्त
INTEGRATED TOWNSHIP

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस

न्यू सन सिटी जीने का एक नया अंदाज

Avail
Benefits
under
PMAY

*Artistic Impression

- झूँसी में 414 बीघे की विशाल राजस्व झील के किनारे ADA द्वारा प्रस्तावित पक्षी विहार के निकट, गेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रस्तावित योजना।
- इलाहाबाद-वाराणसी राजमार्ग के समीप इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से 12.5 कि.मी., झूँसी रेलवे स्टेशन से 2 कि.मी. एवं पवित्र संगम तट से 4 कि.मी.।
- इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु लाइसेंस प्राप्त, मानकों के अनुरूप, खुला प्रदूषण मुक्त हरा भरा क्षेत्रफल।
- योजना में ग्रेण्ड इन्ट्रेन्स प्लाजा, स्कूल, कालेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 24 घंटे सुरक्षा, सोलर लाइटिंग, पावर बैकअप, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट सहित अनेकों सुविधाएँ अगले पाँच वर्षों में प्रस्तावित।
- बच्चों व बुजुर्गों के लिए 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल सेन्टर।

अतुल्य जीवन शैली

अपने पसन्द का विशाल भवन, प्लॉट, रो-हाउसिंग व इससे अधिक भी।

हरा-भरा शरणस्थल

1000 वृक्षों से युक्त परिसर, फूलों की बगियों से सुसज्जित प्रस्तावित टाउनशिप 414 बीघा के कनिहार अन्दावां झील के समीप शीघ्र ए.डी.ए. द्वारा विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारम्भ।

कुछ हमारे बारे में

पवित्र गंगा, यमुना एवं अदृश्य रहकर भी सबको परितृप्त करने वाली सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग, इलाहाबाद में 30 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त व पंजीकृत सहकारी आवास समिति द्वारा पोषित न्याय नगर आवास योजना की शृंखला तथा सिटीजन हाउसिंग के बैनर तले प्रीतम नगर, सुलेम सराय, अल्लापुर, अशोक नगर तथा झूँसी में अनेक बड़ी आवासीय योजनाओं के माध्यम से 20,000 से अधिक नागरिकों की 400 बीघे से अधिक भूमि को विकसित कर आवासीय समस्या के समाधान करने के उपरान्त झूँसी (इलाहाबाद) में विकास प्राधिकरण के मानक के अनुरूप हर वर्ग के लिए उनकी आर्थिक देय क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वास्तु आधार पर आवासीय योजना विकसित करने का प्रस्ताव है।



विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा

बुनियादी सेवायें जैसे बिजली, सीवर, पानी का भूमिगत वितरण व विकास से युक्त सेवाएँ, दूषित जल के लिए Sewage Treatment Plant (STP), पेयजल आपूर्ति की उत्तम सेवा, ऐलीवेटेड वाटर टैंक के माध्यम से 24 घंटे जल आपूर्ति, अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र, गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षण संस्थान व युवकों के लिए उत्तम वातावरण से युक्त केन्द्र, उदित होता हुआ व्यावसायिक केन्द्र, मानक के अनुरूप आवागमन की सड़के एवं सेक्टरों में निर्माण की संरचना, 24 घण्टे दोहरी सिव्योरिटी की व्यवस्था।



इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014 (मुख्य बिन्दु)

उद्देश्य एवं आवश्यकता :

शहरों के नियोजित एवं सुस्थिर विकास के लिए आवास एवं उससे सम्बद्ध अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता अपरिहार्य है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निम्न एवं मध्यम आय वर्गों हेतु अफोर्डेबिल हाउसिंग की मांग सबसे अधिक है, जिसे सरकार के सीमित संसाधनों से पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है, अतः राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीतियों में निर्धारित रणनीति के अनुरूप इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति बनाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य निजी पूंजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि जन-सामान्य को उचित मूल्य पर आवास मुहैया हो सके और निवेशकर्ताओं को विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का तात्पर्य :

1. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का तात्पर्य एक सेल्फ-कनटेन्ड रूप से नियोजित एवं विकसित टाउनशिप से है जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं

सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।

2. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास के लिए मुख्य मार्ग से सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति एवं उर्जा की उपलब्धता आवश्यक है।

भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान निम्नवत सुनिश्चित किया जाएगा :

1. रोड नेटवर्क एवं ट्रान्सपोर्टेशन
2. जलापूर्ति
3. सीवरेज
4. स्टार्म वाटर ड्रेनेज
5. इन्टीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट
6. विद्युत-आपूर्ति एवं वितरण
7. सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं।

टिप्पणी : प्रमुख बिन्दु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के मार्च 2014 की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 से केवल उदाहरण स्वरूप ली गई है, विस्तृत नीति व अन्य विवरण के लिए सोसायटी मुख्यालय से सम्पर्क करें अथवा <http://www.awas.up.nic.in> से डाउनलोड की जा सकती है।



बच्चों की अनोखी दुनिया

बच्चों के लिए अनोखा पार्क, खेलकूद/क्रिकेट एकेडमी, नर्सरी स्कूल, तैराकी करने व सीखने का तरणताल, कलाकार बनने व नृत्य करने व सीखने के केन्द्र की स्थापना।

महिलाओं के लिए

यूथ सेन्टर व लेडीज़ क्लब।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए

सीनियर सिटीजन क्लब, फिजियो थेरेपी एवं मेडिकल सेन्टर। योजना में वार्किंग/जॉगिंग ट्रैक्स एवं योगा सेन्टर



मेम्बरशिप डिमान्ड रजिस्ट्रेशन (सदस्यता मांग पत्र)

हम अपने सदस्यों के माध्यम से योजनानुसार निजी पूंजी से स्ववित्त पोषण के आधार पर मेम्बरशिप डिमान्ड के आधार पर न्यू सनसिटी का विकास करना चाहते हैं जिसमें आपका सहयोग व सहायता अपेक्षित है।

प्रस्तावित योजना में विभिन्न आयवर्ग के लिए, भिन्न-भिन्न क्षेत्रफल के लगभग पाँच सौ भूखण्डों एवं भवनों को बनाया जाना प्रस्तावित है।

समिति की सदस्यता ऐसे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो समिति के कार्यक्षेत्र में रहते हो अथवा रहने के इच्छुक हो। समिति के निबन्धन प्रार्थना-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र पर सदस्यता के लिए इस विवरण के साथ आवेदन देना होगा कि वह अंश धारण करना चाहेंगे। ऐसे आवेदक को प्रार्थना-पत्र के साथ प्रवेश शुल्क ₹. 10 (दस रुपये) तथा ₹. 100 प्रति अंश की दर से अंशधन जमा कराना होगा।

समिति के उद्देश्य, सदस्यता एवं योजना की अधिक जानकारी हेतु समिति कार्यालय में सम्पर्क करके सहकारी आवास समिति की उपविधि का अवलोकन किया जा सकता है।

सिटीजन हाउसिंग अपनी आवासीय योजनाओं के माध्यम से सम्मानित सदस्यों/आवंटियों के जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हेतु उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुये, स्वस्थ एवं विकास परक वातावरण व संवेदनशीलता के साथ उच्च गुणवत्ता एवं आर्थिक क्रय क्षमता के अनुरूप उत्पादों से ग्राहक सदस्यों की संतुष्टि में वृद्धि के लिए कृत संकल्पित है।

गुणवत्ता नीति के निर्धारित लक्ष्य :

- समिति उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप कार्यान्वयन से अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी।
- कार्यो हेतु निर्धारित समय एवं उसकी लागत में कमी लाने का प्रयास।
- ग्राहक/सदस्यों के सुझावों एवं मानकों के अनुरूप नियमों का पालन करते हुए अमल करने का प्रयास।
- ग्राहक/सदस्यों की संतुष्टि में वृद्धि करना।



*Perspective view of Prime Plots Enclave मकान के साथ दुकान

आसान सहूलियत वाले केन्द्र

डायरेक्ट ब्राण्ड दुकानें, रोजमर्रा से जुड़ी जरूरतों की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, रेस्टोरेन्ट, पैन्ट्री/किचेन/टिफिन सुविधाएं तथा स्वास्थ्य सुविधाएं।

मकान के साथ दुकान वाले प्राइम प्लॉट

योजना में मुख्य मार्ग पर आने वाले समय में लगभग 2000 व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति हेतु “मकान के साथ दुकान” के कान्सेप्ट पर उपलब्ध “प्राइम प्लॉट” Prime Plots Enclave.



निवेश विशेषज्ञों के अनुभवों व शोध के आधार पर यह सामने आया है कि प्रापर्टी के निवेश में विविधता होना आवश्यक है।

रियल स्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि वाणिज्यिक सह आवासीय परिसरों में उद्योग में एक नया रुझान स्थापित करने की क्षमता हो सकती है। उपनगरीय इलाकों में बहुत से आगामी निर्माण के साथ वाणिज्यिक परिसर सह आवासीय सम्भव विकल्प है। 30प्र0 शासन ने भी कतिपय योजनाओं में इसी विकल्प के आधार पर मुख्य मार्ग पर स्थित भूखण्ड के भूउपयोग को आवासीय/कामर्शियल के स्थान पर मिश्रित उपयोग के आधार पर स्वीकृति देने का प्रस्ताव नई आवास नीति के अन्तर्गत लिया है। कई उपनगरीय इलाके एवं आसपास के क्षेत्र में लक्जरी मॉल और विशाल वाणिज्यिक बाजार नहीं होते हैं और इन परिसरों में निवासियों को घर पर एक स्टॉप शॉप/शोरूम/दुकान के साथ प्रदान किया जाना अत्यन्त लाभदायी सम्पत्ति होगी। इस विकल्प का एक उदाहरण विकास प्राधिकरण द्वारा झूंसी के त्रिवेणीपुरम में मुख्य मार्ग के दोनों ओर देखा जा सकता है। निवेशकों के लिए घर के साथ सुरक्षित नियमित आमदनी देने के विकल्प स्वरूप ग्राउन्ड फ्लोर पर शोरूम-दुकान का निर्माण

और ऊपर घर का निर्माण सुरक्षा कारणों से भी अति उत्तम विकल्प है और रोजगार सृजन में भी सहायक होगा। लगभग 414 बीघे अन्दावां व कनिहार, झूंसी के भूमि पर पक्षी विहार जैसे सुन्दर पर्यटन स्थल के निकट सिटीजन हाउसिंग अपनी बड़ी आवास योजना के अन्तर्गत सीमित संख्या में लगभग 200-250 वर्गगज के कुछ मिश्रित लैंड यूज के प्लॉट का विकल्प अपने सदस्यों को आसान भुगतान योजना के अन्तर्गत तुलनात्मक रूप से कम मूल्य पर उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसमें पंजीकरण खुले रहने तक आप भी दुकान के साथ मकान निर्माण की बेहद लाभदायी योजना में अपना अंशधन निवेश करके पीढ़ियों के लाभ का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं।



Actual Photo of Site Office



योजना की विशिष्टताएँ

- भवनों व निर्मित घरों की दशा में कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ कब्जे के बाद प्रत्येक वर्ष बढ़ता रेंटल एप्रिसियेशन।
- अनवरत जल आपूर्ति एवं सार्वजनिक स्थल हेतु 24 घण्टे पावर बैकअप।
- स्वीमिंग पूल एवं अन्य मनोरंजन की सुविधाएँ।
- कामर्शियल सेन्टर, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ सेन्टर के लिए इयर मार्क भूखण्ड।
- ग्रेट लोकेशन - इलाहाबाद के गंगा पार झूंसी में अन्दावां तिराहे के पास, इलाहाबाद-वाराणसी 200 फिट चौड़े राजमार्ग के समीप, दक्षिण में 414 बीघे का विशाल राजस्व तालाब है।

वेलनेस हब - आरोग्य केन्द्र

ध्यान योग, योगा, उर्जा ग्रहण, खुशबूदार वातावरण, प्राकृतिक वातावरण से युक्त चहल पहल की सुविधा।

स्वास्थ्य व फिटनेस

जिम, जॉगिंग पथ, साइकिलिंग व इनसे जुड़ी अन्य सुविधायें।

सामाजिक जीवन शैली की सुविधाएँ

उत्तम श्रेणी का रेस्टोरेन्ट, क्लब की सुविधा, इन्टरनेट केन्द्र, दावत/पार्टी का हाल, वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष सुविधा केन्द्र, एम्फीथियेटर



- एलीवेटेड वाटर टैंक

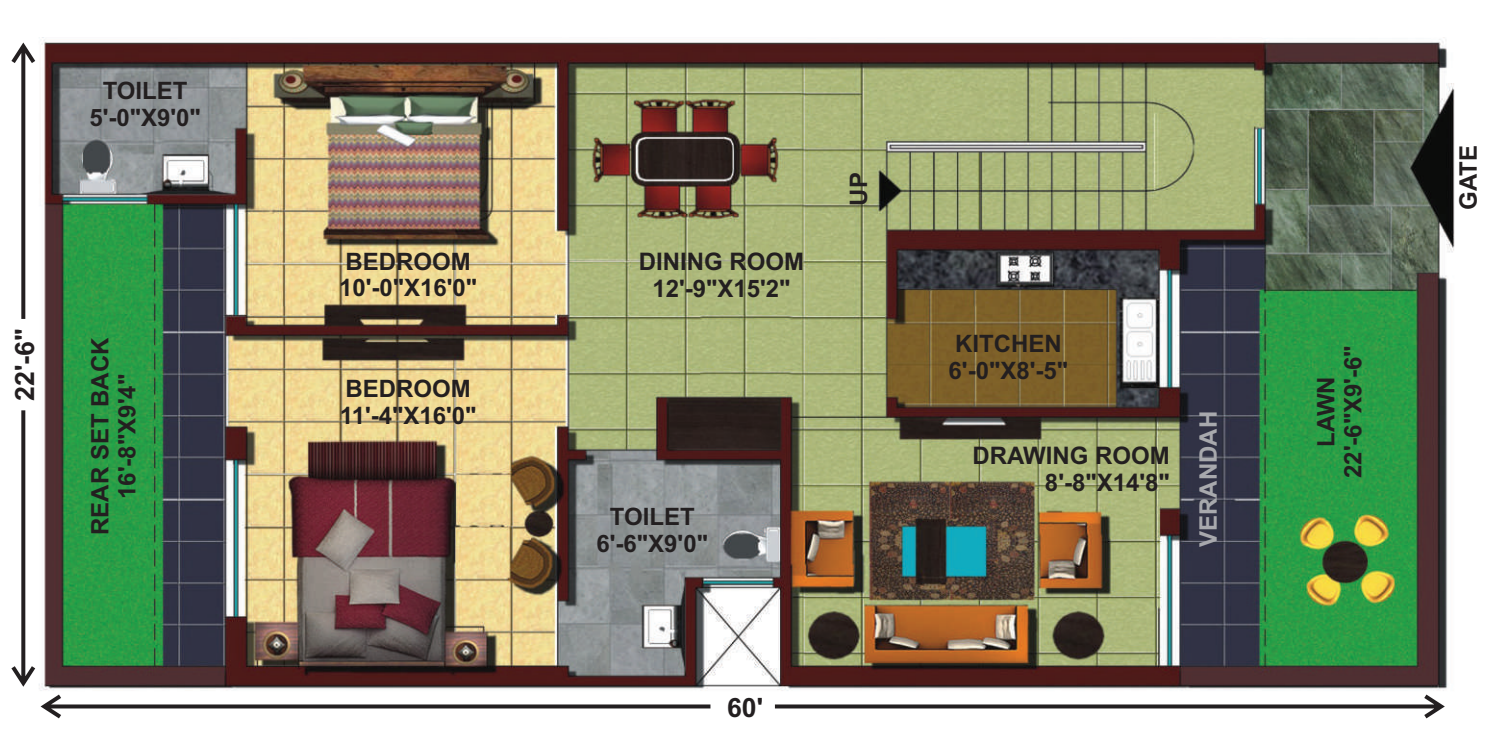
- CCTV युक्त Two-Tier सिक्योरिटी

- बेस्ट कनेक्टिविटी - सिटी बस सेवा के साथ 24 घण्टे प्राइवेट कन्वेंस की सुविधा।

- निर्माण एवं विकास के स्तर पर अत्याधुनिक व आवास नीति एवं विकास प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप।

- रहने के लिए सर्वगुण सम्पन्न, सस्ता और अच्छा विकल्प।

सैम्पल फ्लोर प्लान **Sample Layout of 150 Sq Yard Plot for Middle/High Income Group**
2/4 बीएचके एक्सपेन्डेबल ड्यूप्लेक्स विला



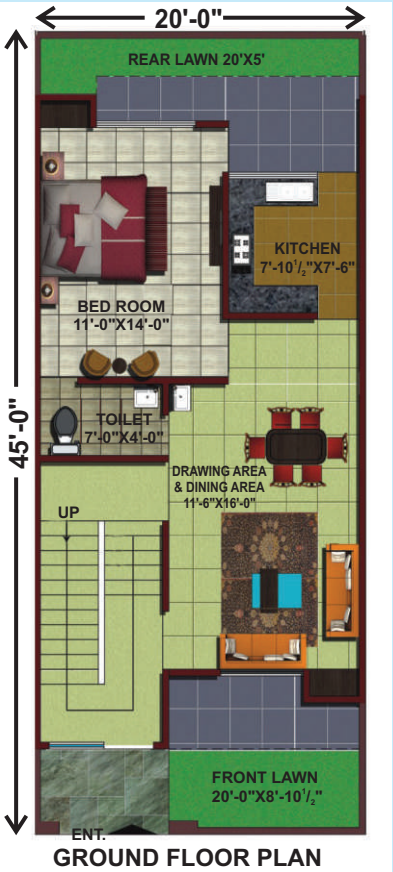
CATEGORY A
Ground Floor : 2 Bed Room, Drawing Room, Dining Room, Kitchen & 2 Toilet
Plot Area : 150 Sq. yard = 125 sq. Mtr. = 1350 Sq. Ft.
Builtup Area : 90 Sq. Mtr. or 968 Sq. Ft.

CATEGORY B
First Floor : 4 Bed Room, 2 Drawing Room, Dining Room, 2 Kitchen & 4 Toilet
Plot Area : 150 Sq. yard = 125 sq. Mtr. = 1350 Sq. Ft.
Builtup Area : 180 Sq. Mtr. or 1937 Sq. Ft.

फर्स्ट फ्लोर ओपेन टैरिस के स्थान पर 1 या 2 बेडरूम का निर्माण भी कराया जा सकता है। जिससे ड्यूप्लेक्स में 2 ड्राइंग, डाइनिंग 3/4 बेडरूम, 2 किचेन, टॉयलेट व 2 लॉबी का निर्माण होने पर एक आदर्श घर का निर्माण पूरा हो जाता है।

प्रस्तावित न्यू सनसिटी में 150 वर्गगज के भूखण्ड पर ड्यूप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है जो मध्य एवं उच्च आय वर्ग के लिए उपयुक्त एवं देय क्षमता के अनुरूप है।

सैम्पल फ्लोर प्लान **Sample Layout of 100 Sq. Yard Plot for Middle Income Group**
1/3 बीएचके एक्सपेन्डेबल ड्यूप्लेक्स विला

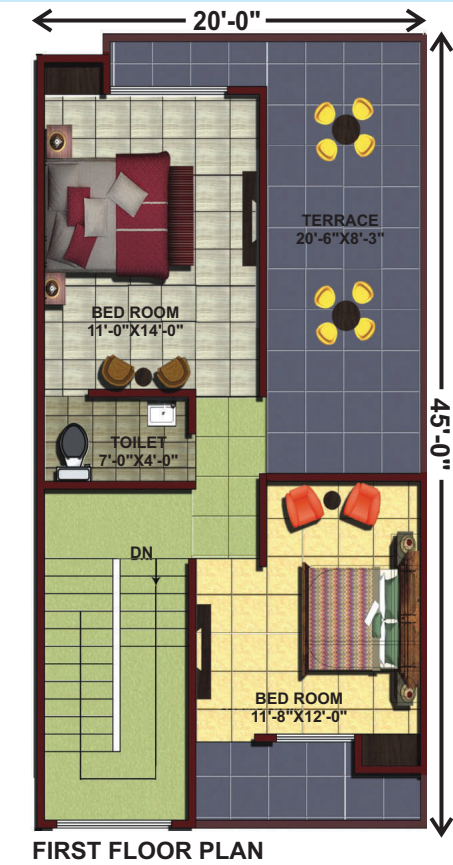


GROUND FLOOR PLAN

CATEGORY A
1 Bed Room, Drawing/Dining
1 Kitchen & 1 Toilet
Plot Area = 100 Sq. yard.
= 84 Sq. Mtr.
= 900 Sq. Ft.
Builtup Area = 62 Sq. Mtr.
or = 667 Sq. Ft.

CATEGORY B
2 Bed Room, Drawing/Dining
1 Kitchen & 2 Toilet
Plot Area = 100 Sq. yard.
= 84 Sq. Mtr.
= 900 Sq. Ft.
Builtup Area = 97 Sq. Mtr.
or = 1041 Sq. Ft.

CATEGORY C
3 Bed Room, Drawing/Dining
1 Kitchen & 2 Toilet
Plot Area = 100 Sq. yard.
= 84 Sq. Mtr.
= 900 Sq. Ft.
Builtup Area = 110 Sq. Mtr.
or = 1182 Sq. Ft.

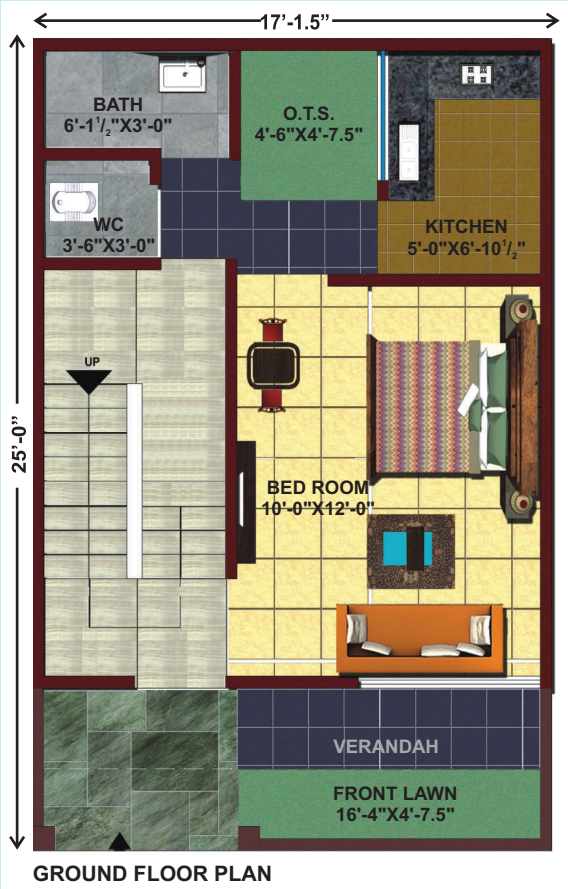


FIRST FLOOR PLAN

प्रस्तावित न्यू सनसिटी में 100 वर्गगज के भूखण्ड पर ड्यूप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है जो मध्यम आय वर्ग के लिए उपयुक्त एवं देय क्षमता के अनुरूप है।

फर्स्ट फ्लोर पर 2 बेडरूम का निर्माण भी कराया जा सकता है। जिससे ड्यूप्लेक्स में 1 ड्राइंग, डाइनिंग, 3 बेडरूम, किचेन, टॉयलेट व 2 लॉबी का निर्माण होने पर एक आदर्श घर का निर्माण पूरा हो जाता है।

सैम्पल फ्लोर प्लान
1 रुम सेट एक्सपेन्डेबल होम



CATEGORY A

Plot Area = 48 Sq. yard.
= 40 Sq. Mtr.
= 428 Sq. Ft.
Builtup Area = 29 Sq. Mtr.
or = 310 Sq. Ft.

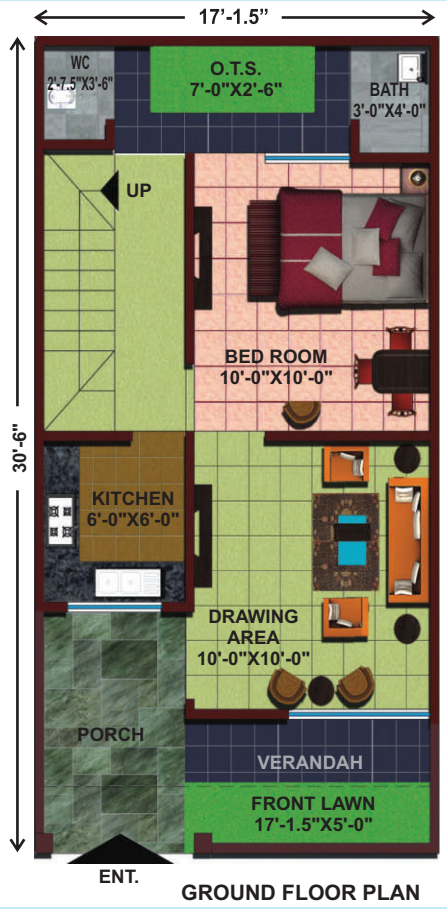
CATEGORY A

Bed Room, Kitchen, Bath & W.C.
Plot Area = 58 Sq. yard.
= 49 Sq. Mtr.
= 522 Sq. Ft.
Builtup Area = 24 Sq. Mtr.
or = 258 Sq. Ft.

CATEGORY B

Bed Room, Drawing Room
Kitchen, Bath & W.C.
Plot Area = 58 Sq. yard.
= 49 Sq. Mtr.
= 522 Sq. Ft.
Builtup Area = 34 Sq. Mtr.
or = 367 Sq. Ft.

Sample Layout of 48/58 Sq. Yard Plot for EWS/LIG
1 रुम सेट/1 बी.एच.के. एक्सपेन्डेबल होम



मुख्य नियम एवं शर्तें

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में प्रस्तावित न्यू सनसिटी योजना आधुनिक विकास एवं सम्पूर्णता की दृष्टि से गंगापार क्षेत्र में एक विशाल आवासीय योजना होगी। इस योजना हेतु मुख्य नियम एवं शर्तें संक्षेप में नीचे दी जा रही हैं जिसे अनुबन्ध पत्र में विस्तृत रूप से लिखा जायेगा।

- आवेदक सदस्य आवासीय भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही कर रहे हैं। किसी प्रकार का व्यवसायिक अथवा समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निषिध कोई अन्य कार्य की अनुमति नहीं होगी। मिश्रित उपयोग केवल मुख्य मार्ग पर स्थित प्राइम प्लॉट्स पर अनुमति पत्र के साथ लागू होगा। भूखण्ड पर निर्माण केवल लागू भवन निर्माण नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
- सभी चेक/ड्राफ्ट "**Citizen Housing & Developing Co-operative Society Limited**" के पक्ष में देय होना चाहिए।
- सभी धनराशि के भुगतान के लिए समिति की प्राथमिकता चेक/ड्राफ्ट या सीधे बैंक में जमा करने की होगी। फिर भी जहाँ आवश्यक होगा कुछ या सभी नगद भुगतान निश्चित रूप से समिति के मुख्य कार्यालय सहयोग भवन, 1, एम.जी. मार्ग (उच्च न्यायालय के पास) सिविल लाइंस, इलाहाबाद-211001 में सचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा।
- समय महत्वपूर्ण है, आवेदक द्वारा विक्रय मूल्य (जैसा कि भुगतान अनुसूची में दर्शाया गया है) अन्य सभी अपेक्षित देयों के साथ भुगतान देय होने पर या देय होने से पूर्व या जब कभी भी समिति द्वारा मांग की जाय, जैसी भी स्थिति हो, करने का जिम्मेदार होगा। आवेदक द्वारा यह स्पष्ट सहमति एवं समझ लिया माना जायेगा कि समिति की यह जिम्मेदारी नहीं है कि भुगतान के संबंध में मांग पत्र या अनुस्मारक भेजें। आवेदक द्वारा भुगतान करने में विलम्ब की स्थिति में समिति का पूर्ण विवेक है कि भुगतान में विलम्ब पर बकाया देयों किश्तों/चार्ज पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क लेकर विलम्ब की अवधि को क्षमा कर दे। अनियमित/विलम्बित भुगतान/भुगतान के नियमों की पूर्ति न करने की दशा में पंजीकरण को निरस्त करने का पूर्ण विवेक व अधिकार समिति का होगा। जमा धनराशि पर ब्याज सिर्फ नियमित किश्त जमा करने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा।
- आवेदक ने प्रस्तावित हाउसिंग स्कीम, ले आउट, प्रस्तावित स्पेशिफिकेशन तथा अन्य नियम एवं शर्तों की पूरी जानकारी के पश्चात आवासीय फ्लैट/भूखण्ड/विला के प्रस्तावित आवंटन के लिए आवेदन किया है फिर भी यदि आवश्यक हुआ या इलाहाबाद विकास प्राधिकरण या लाइसेन्स प्रणाली में नीतिगत अथवा आर्किटेक्ट अथवा प्रबन्ध समिति के निर्देश पर ले आउट में बदलाव, परिवर्तन, संशोधन जोड़ने, घटाने, प्रतिस्थापित या पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।
- आवंटनी को सरकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा समय-समय पर जो भी अतिरिक्त शुल्क/कर/स्टाम्प शुल्क लागू होगा देय होगा जो कि विक्रय मूल्य के अतिरिक्त होगा।
- यदि कोई सदस्य अपना/अपनी सदस्यता वापस लेना चाहता है/चाहती है तो सदस्य की धनराशि वापसी के लिए समुचित कारण के साथ समिति को आवेदन करना होगा। समिति आवेदन पर विचार करने के लिए तीन माह का समय ले सकती है तथा धनराशि वापसी उसके अगले 90 दिन के भीतर शुरु करेगी जो समान मासिक किश्तों में अगले 6 माह में होगा। चूंकि समिति बिना लाभ हानि के सिद्धान्त पर काम करती है इसलिए वापसी का भुगतान किसी सदस्य/आवेदक को प्रतिस्थापित करके किया जाता है।
- भूखण्ड के आधार मूल्य में किसी प्रकार का विकास शुल्क, शासकीय विभागों द्वारा प्रचलित अथवा तत्समय लागू शुल्क अथवा टैक्स तथा बिजली, पानी, सीवर आदि से सम्बन्धित चार्ज आदि धनराशि में सम्मिलित नहीं है। आवेदक को समिति के मांगपत्र के अनुसार लागू देय जो कि विक्रय मूल्य के अतिरिक्त होगा, देना होगा।
- अन्य नियम एवं शर्तें जैसा कि आवेदन फार्म, मानक नियम एवं शर्तों, समिति की उपविधियों तथा समिति के आवंटन/अनुबंध पत्र के अनुसार होगी।
- सदस्य अपना स्थायी पता बदलने से पहले समिति को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित करें अन्यथा समिति द्वारा भेजे गये पत्रों को स्वीकार माना जायेगा।
- इस रसीद की वैधता चेक/डीडी समिति के खाते में भुगतान होने पर। भुगतान में विलम्ब या चेक के अनादर होने की स्थिति में यह रसीद स्वतः निरस्त मानी जायेगी। सदस्य द्वारा दिये गये चेक को अनादर होने की स्थिति में सदस्य को रुपये 2000/- अतिरिक्त देना होगा।
- अपरिहार्य स्थिति में योजना निरस्त होने की स्थिति में सदस्य की जमा धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर की गणना करके जमा धनराशि वापस की जा सकती है अथवा उसी मूल्य की किसी अन्य योजना में सम्पत्ति का स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- यदि **RERA** अथवा अन्य प्राधिकारी से सम्बन्धित प्रावधानों की वजह से मुख्य नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन अनिवार्य होगा तो तदनुसार संशोधन किया जायेगा जो सदस्य को अनुमन्य होगा परन्तु संशोधन की वजह से मुख्य नियम एवं शर्तों के अन्य अनुच्छेदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा न ही निर्धारित इकाई की धनराशि में कोई परिवर्तन अनुमन्य होगा वह यथावत पूर्व की भांति प्रभावी रहेगी।
- विवाद की स्थिति में सभी वाद Arbitration and Conciliation Act, 1996 एवं सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत मध्यस्थ वाद द्वारा सुलझाये जायेंगे।
- सभी पत्र व्यवहार, भुगतान या स्कीम के सम्बन्ध में **सिटीजन हाउसिंग, सहयोग भवन, 1 एम.जी. मार्ग (उच्च न्यायालय के समीप) सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001** अथवा **E-mail : info@citizenhomes.in** अथवा **फोन नं0 : 0532-2560423** को सम्बोधित होना चाहिए।

प्रस्तावित न्यू सनसिटी में 48/58 वर्गगज के भूखण्ड पर ड्यूप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है जो अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लिए उपयुक्त एवं देय क्षमता के अनुरूप है।

इस सिम्पलेक्स/ड्यूप्लेक्स में आय व समय या आवश्यकता के अनुसार फर्स्ट फ्लोर पर ओपन टेरेस के स्थान पर अतिरिक्त बेडरूम एवं अन्य अकोमोडेशन का निर्माण कराया जा सकता है।